रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263638 SG-DL-E-06062025-263638

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] No. 174] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88 [N. C. T. D. No. 88

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 05 / 2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (560) / नीति / जीसटी / 2025 / 335. — दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पिटत धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के साथ पिटत दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 66 के अन्तर्गत प्रपत्र जीएसटीआर—7 में उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माह दिसम्बर, 2024 हेतु विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को, दिनांक 12 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

3682 DG/2025 (1)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy and Research Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 05/2025-State Tax)

F. No. 2(560)/policy/GST/2025/335.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, in FORM GSTR-7 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of December, 2024, till the 12th day of January, 2025.

CHANCHAL YADAV, Commissioner (State Tax)